

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.  
गांधी नगर रेल्वे स्टेशन के पास जयपुर

तकनीकी भाग

निविदा मूल्य—500 /—  
अमानत राशि— 7,000 /—  
सुरक्षा राशि— 25,000 /—

कार्य:— खाली के.पी.बैग्स (अनुपयोगी) स्क्रेप

निविदा प्रस्ताव प्रपत्र

निविदा प्राप्ति दिनांक 15.01.2019 सायं 03.00 बजे तक  
निविदा खोलने दिनांक 16.01.2019 को दोपहर 12.00 बजे

1. निविदादाता/फर्म का नाम : .....  
पता, दूरभाष संख्या: .....

पहचान की छायाप्रति (राशनकार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, मतदाता पहचान पत्र अथवा यु.आई.डी. कार्ड)  
संलग्न करें।

2. निविदादाता/फर्म का जीएसटी न. ....  
(कृपया छाया प्रति संलग्न करें। )

3. निविदादाता/फर्म का पैन न. ....  
(कृपया छाया प्रति संलग्न करें। )

4. खाली के.पी.बैग्स स्क्रेप के कार्य का अनुभव .....  
यदि हो तो (दस्तावेज की छाया प्रति संलग्न करें)

5. निविदादाता/फर्म द्वारा जमा करायी गई राशि धरोहर राशि का विवरण (डी.डी./रसीद संख्या .....  
..... दिनांक ..... राशि रू. ....)

6. खाली के.पी.बैग्स स्क्रेप का क्या उपयोग होगा ? विवरण दें। .....

7. बैंक का नाम एवं खाता संख्या .....

8. बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड.....

9. प्रोपराइटर का आधार कार्ड नम्बर .....

10. ई- मेल आईडी .....

निविदादाता/फर्म के मालिक/साझेदार  
के हस्ताक्षर मय रबड़ सील

नोट : (कृपया धरोहर राशि की डी. डी. /नगद जमा की मूल रसीद संलग्न करें। )

## जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. जयपुर।

(खाली के.पी.बैग्स (अनुपयोगी) स्क्रेप को क्रय करने हेतु निविदादाताओं (क्रेताओं)/प्रस्तावकों के लिए शर्तें, निविदा/प्रस्ताव प्रपत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित समस्त निविदा/प्रस्ताव शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रत्येक पेज पर अपने हस्ताक्षर अंकित करते हुए निविदा/प्रस्ताव प्रपत्र के तकनीकी भाग के साथ संलग्न करें।) निविदादाता यह भली प्रकार से सुनिश्चित कर लें कि उसने निविदा प्रपत्र के तकनीकी भाग के साथ, आवश्यक अमानत राशि का डी.डी./नकद जमा की रसीद पेन एवं जीएसटी नं. की छाया प्रति आवश्यक रूप से संलग्न कर दी है।

1. निविदा प्रपत्र तकनीकी एवं वित्तीय दो भागों में है। दोनों भागों को अलग-अलग लिफाफों में सीलबंद कर प्रस्तुत करना होगा। जिन निविदादाताओं द्वारा तकनीकी भाग की सभी शर्तें पूर्ण किया जावेगी उन्हीं निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत निविदा प्रपत्र के वित्तीय भाग को खोला जावेगा। निविदा/प्रस्ताव प्रपत्र बिना किसी अपलेखन (over writing) के पूर्ण रूप से भरकर, प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर अंकित करते हुए निर्धारित सीमा अवधि में संघ कार्यालय में जमा करना होगा।
2. मोहरबंद निविदा/प्रस्ताव प्रपत्र निर्धारित दिनांक को निश्चित समय पर संघ कार्यालय में खोली जावेगी। उस समय निविदादाता(क्रेता)/प्रस्तावक अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित रहना चाहिए।
3. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के वित्तीय भाग में अंको एवं शब्दों में दर अंकित करते समय यदि दोनो में अन्तर /अपलेखन (over writing) पाया जाता है तो शब्दों में अंकित की गई दर को ही मान्यता दी जावेगी एवं प्रस्तुत की गई दर में सभी प्रकार के कर अतिरिक्त होंगे।
4. निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति के पास जीएसटी नं. एवं पैन नं. उपलब्ध होना आवश्यक है।
5. निविदा/प्रस्ताव प्रपत्र के तकनीकी भाग के साथ अमानत राशि रु. 7,000/- (अंके रु. सात हजार मात्र) जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट/ नकद जमा की मूल रसीद संलग्न करना आवश्यक है। इसके अभाव में निविदा/प्रस्ताव प्रपत्र मान्य नहीं होगा। असफल निविदादाताओं(क्रेताओं)/प्रस्तावकों द्वारा जमा अमानत राशि निविदा/प्रस्ताव प्रपत्र खुलने की दिनांक से अधिकतम तीन माह की अवधि में लौटाया जावेगा। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि को सुरक्षा राशि में समायोजित कर दिया जावेगा। (डी.डी., बैकर चैक, पे ऑर्डर केवल सी.टी.एस. ही मान्य होंगे।)
6. सफल निविदादाता(क्रेता)/प्रस्तावक द्वारा, अधिकतम सात दिवस की अवधि में आवश्यक सुरक्षा राशि रु. 25,000/- जमा कराते हुए रु. 500/- के नॉन ज्युडिशियल पेपर पर अनुबंध हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। यदि निविदादाता द्वारा निर्धारित समय सीमा में सुरक्षा राशि जामा नहीं कराई जाती है तो अमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
7. सफल निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक द्वारा अनुबंध पत्र प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त संघ द्वारा सफल निविदादाता (क्रेता)/ प्रस्तावक को कार्यादेश प्रदान किया जावेगा। जो एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य रहेगा। जिसे संघ प्रशासन अवधि समाप्ति के पश्चात पर तीन माह के लिए बढ़ा सकता है। जिस पर सफल निविदादाता(क्रेता) /प्रस्तावक को कोई आपत्ति नहीं रहेगी।
8. सफल निविदादाता द्वारा स्क्रेप को "जहां है जिस स्थिति में हैं" स्वयं के खर्चे पर एकत्रित करने, वाहन में लोड करने, कार्य हेतु लगाये गये श्रमिकों के वेतन एवं अन्य अतिरिक्त सम्पूर्ण व्यय को सफल निविदादाता द्वारा ही भुगतान किया जावेगा। माल केवल कार्य दिवस के दिन ही कार्यालय समय के बीच में ही उठाने की अनुमति होगी। माल सफल निविदादाता अथवा उसके द्वारा अधिकृत किये गये प्रतिनिधि को ही दिया जावेगा। (अधिकृत किये जाने वाले प्रतिनिधि को सफल निविदादाता द्वारा फर्म के लैटर पैड पर अधिकृत कर प्रस्तुत करना होगा।)
9. सफल निविदादाताओं(क्रेताओं)/प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत दरें संघ प्रशासन के पास विचार कर नियमानुसार स्वीकृत करने के लिए एक माह तक खुला रखना होगा।
10. सफल निविदादाता(क्रेता)/प्रस्तावक को जीएसटी एवं अन्य कानूनी भुगतान यदि देय हो तो माल के मूल्य के साथ (नकद या ड्राफ्ट) जमा कराना अनिवार्य होगा। निविदा/प्रस्ताव प्रपत्र में वर्णित सामान अग्रिम भुगतान पर ही दिया जावेगा।

11. सफल निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक को राज्य सरकार के श्रमिक एवं बाल श्रमिक रोकथाम अधिनियमों की पालना करनी होगी एवं राज्य सरकार अथवा निर्धारित एजेन्सियों द्वारा जारी अधिसूचना/दिशानिर्देशों की पालना करनी होगी साथही सफल निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक द्वारा कार्य में लगाये गये श्रमिक/ कर्मचारियों के ई.एस.आई., पी. एफ. के भुगतान की जिम्मेदारी एवं भुगतान सम्बन्धित कोई भी विवाद होता है तो सफल निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक की जिम्मेदारी होगी। संघ प्रशासन इसके लिए किसी भी रूप से जिम्मेदार नहीं होगा।
12. सफल निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक द्वारा कार्यादेश प्राप्त होने पर संघ परिसर में चिन्हित स्थान पर रखे हुए खाली के.पी. बैग्स (अनुपयोगी) को स्टोर के निर्देशानुसार तुरन्त उठाना होगा। उसके उपरान्त निविदादाता(क्रेता)/प्रस्तावक को खाली के.पी. बैग्स (अनुपयोगी) की उपलब्धता के आधार पर अधिकतम प्रत्येक 7 दिवस के अन्तराल में अथवा उपलब्धता के आधार पर चिन्हित स्थान से स्टोर के निर्देशानुसार आवश्यक रूप से उठाने होंगे।
13. यदि निविदादाता(क्रेता)/प्रस्तावक द्वारा निर्धारित अवधि के अन्तराल पर माल नहीं उठाया जाता है तो रू. 100/— प्रति दिवस की दर से शास्ति आरोपित करने के अतिरिक्त संघ, निविदादाता(क्रेता)/ प्रस्तावक के हर्जे खर्चे पर किसी अन्य पार्टी (क्रेता) को माल विक्रय करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। (दरो में अन्तर की राशि को सुरक्षा राशि से वसूल किया जायेगा।)
14. निविदादाता(क्रेता)/प्रस्तावक अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति द्वारा, कार्यादेश में वर्णित सामान के साथ अनाधिकृत रूप से किसी अन्य सामान को ले जाते हुए पाए जाने की स्थिति में उसे चोरी की संज्ञा में लिया जावेगा। उस सामान के बाजार मूल्य के 25 गुना राशि तक की शास्ति निविदादाता/प्रस्तावक पर आरोपित की जा सकती हैं
15. सफल निविदादाता/क्रेता या उसके किसी भी श्रमिकों द्वारा डेयरी के किसी भी भवन, मशीन या अन्य सम्पत्ति आदि को कोई हानि पहुंचाई जाती है तो उसकी वसूली सफल निविदादाता/क्रेता से की जावेगी एवं शास्ति भी आरोपित की जा सकती है। सफल निविदादाता द्वारा शास्ति का भुगतान नहीं किए जाने पर अनुबन्ध निरस्त करते हुए वसूली सुरक्षा राशि से की जावेगी।
16. निविदादाता द्वारा उक्त वर्णित की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर संघ प्रशासन द्वारा सफल निविदादाता/क्रेता के पक्ष में जारी कार्यादेश को निरस्त करते हुए जमा कराई गई सुरक्षा/अमानत राशि को जब्त किया जा सकता है।
17. संघ प्रशासन के पास ठेके के क्रम में आवश्यक होने पर उक्त वर्णित शर्तों में किसी भी प्रकार का संशोधन करना, किसी शर्त को हटाने एवं जोड़ने का अधिकार सुरक्षित है।
18. सफल निविदादाता/क्रेता को दिए गए कार्य को सफल निविदादाता/क्रेता किसी अन्य व्यक्ति या पार्टी को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। यदि ऐसा पाया गया कि सफल निविदादाता/क्रेता द्वारा आवांटीटि कार्य किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को हस्तान्तरित कर दिया है तो सफल निविदादाता/ क्रेता द्वारा जमा करायी गई अमानत/ सुरक्षा राशि को जब्त करते हुए अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
19. निविदादाता(क्रेता)/प्रस्तावक आयकर प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा एवं आयकर संबंधी औपचारिकताएँ पूर्ण करने का समस्त दायित्व निविदादाता(क्रेता)/प्रस्तावक का होगा।
20. All Disputes and differences arising between the parties out of the agreement or incidental thereto shall be decided by arbitration under the provision of the Arbitration & Conciliation Act, 1996 or any other law for the time being in force and the same shall be final and binding on both the parties.
21. सफल निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक को अपने अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि का डाक का पता मय दूरभाष नम्बर (मय सत्यापित प्रतिलिपी) संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। दूरभाष नम्बर, डाक का पता परिवर्तन करने की स्थिति में इस कार्यालय में लिखित में सूचना देना आवश्यक है तथा सफल निविदादाता के प्रतिनिधि एवं कार्य करने वाले कर्मकारों का परिचय पत्र होना आवश्यक है जो सफल निविदादाता द्वारा हस्ताक्षर उपरान्त जारी हो, को ही माना जायेगा।

22. निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक के किसी कर्मचारी को कार्य के दौरान चोट ग्रस्त होने पर उसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक की होगी। संघ प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
23. निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक को माल की प्रथम सुपुर्दगी लेने से पूर्व द्वितीय पक्ष को जयपुर संघ का नाम मात्र (नोमिनल) सदस्य बनना आवश्यक है जिस हेतु नाम मात्र सदस्य का रूपये 100/- (रूपये सौ मात्र) एवं रूपये 10/- (रूपये दस मात्र) सदस्यता शुल्क जमा कराना होगा। संघ के नये उपनियमों के अनुसार संघ के नाम मात्र (नोमिनल) सदस्य पर उपनियम की शर्तें लागू होंगी।
24. सफल निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक और संघ प्रशासन के बीच किसी भी प्रकरण में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो संघ के अध्यक्ष महोदय सोल पंच निर्णायक होंगे उनका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य माना जावेगा एवं न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
25. निविदादाता/क्रेता/फर्म द्वारा संघ अथवा संघ के किसी अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध (संघ के कार्यों से सम्बन्धित प्रकरणों) पर कोई वाद नहीं किया होना चाहिए एवं न्यायालय द्वारा दण्डित या किसी भी प्रकार के आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र निविदादाता/क्रेता/फर्म को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
26. सुरक्षा/धरोहर राशि अनुबंधित निविदा अवधि समाप्ति के पश्चात तीन माह की अवधि में निम्न औपचारिकताएं पूर्ण हो जाने के उपरान्त लौटाई जा सकेगी:-

निविदादाता(क्रेता)/प्रस्तावक को निविदा अवधि समाप्ति के उपरान्त एक इंडेमैन्टी बाण्ड रूपए 100/-के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का प्रस्तुत करने पर कि यदि निविदा अवधि समाप्ति के उपरान्त भविष्य में कभी भी उक्त क्रय किए गए माल के संबंध में अन्य कोई वैधानिक कर/ड्यूटी/अंशदान/सरचार्ज आदि की मांग राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाने पर एवं संघ द्वारा उसका भुगतान किए जाने की स्थिति में सफल निविदादाता(क्रेता)/प्रस्तावक द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति जयपुर दुग्ध संघ को की जावेगी।

निविदादाता निम्न दस्तावेज संलग्न करेंगे।

1. फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण।
2. फर्म का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण।
3. निविदादाता का पैना की छाया प्रति। (स्वयं सत्यापित)
4. कार्यानुभव यदि हो तो।
5. शर्त संख्या 19 के क्रम में आर.टी.आर. की प्रति।
6. शर्त संख्या 21 के क्रम में निविदादाता फर्म के लैटर पेड पर डाक का पता मय दुरभाष संख्या।
7. शपथ पत्र (संलग्न प्रारूप फार्म 1) में बिन्दु संख्या 25 के क्रम में।

## Form-1

—: शपथ – पत्र :-

(100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर,नोटरी पब्लिक से सत्यापित)

मैं /हम निविदादाता ..... पुत्र श्री .....पता.....  
.....( फर्म के नाम से निविदा भरने की स्थिति में यह शपथ पत्र फर्म के प्रोपराइटर/सभी पार्टनर/सभी डायरेक्टर द्वारा भरा जावेगा) सशपथ घोषणा करता हूं कि

1. मैं/हमारे द्वारा जयपुर संघ अथवा संघ के अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध (संघ से सम्बन्धित कार्य के बारे में ) किसी भी न्यायालय अथवा कहीं और किसी भी प्रकार का वाद लम्बित नहीं है ।
2. जयपुर संघ द्वारा मेरे/हमारे के विरुद्ध किसी भी न्यायालय अथवा कहीं और किसी भी प्रकार का वाद लम्बित नहीं है ।
3. मेरा/हमारा पूर्व में संघ द्वारा किसी भी कारण से अयोग्य नहीं किया गया है/निलम्बित नहीं / अनुबंध निरस्त नहीं किया गया है / ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है ।
4. मेरा/हमारा संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्य से/दुग्ध समितियों के पदाधिकारी (As on date of submission of Tender) वित्तीय सम्बन्ध नहीं है ।
5. मेरा/हमारा संघ के संचालक मण्डल के सदस्य/दुग्ध समितियों के पदाधिकारी/अधिकारी /कर्मचारी से रक्त सम्बन्ध नहीं है (सिर्फ आश्रितों पर लागू) ।
6. मैं/हम दीवालिया /नाबालिक/अस्वस्थ मस्तिष्क के नहीं है ।
7. मैं/हम संघ के समान/प्रतिस्पर्धी कार्य/व्यापार मे लिप्त नहीं है।
8. मैं/हम वर्तमान में किसी भी अन्य प्रतिस्पर्धी ब्रांड के कार्यालय/संयंत्र में अनुबंध के अंतर्गत कार्यरत नहीं हैं ।
9. मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में दी गई घोषणा गलत पाये जाने पर मेरी/हमारी धरोहर /सुरक्षा राशि/बैंक गारंटी/अन्य देय भुगतान संघ में जब्त समझी जावेगी एवं टेण्डर की अवधि के दौरान तथ्य उजागर होने पर टेण्डर को निरस्त भी किया जा सकेगा । जिसके लिए मैं/हम स्वयं जिम्मेदार रहूंगा ।

हस्ताक्षर

### सत्यापन

मैं ..... पुत्र श्री ..... आयु ..... वर्ष निवासी ..... एदद् द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि उक्त शपथ पत्र के मद संख्या एक से नो तक को मैने पढ़, सून व समझ कर बिना किसी नशे पते व जोर जबरदस्ती के पूर्ण होशो हवास के अपने हस्ताक्षर अंकित किये है। ईश्वर मेरे साक्षी है। बमुकाम ।

हस्ताक्षर

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. जयपुर  
गांधी नगर रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर  
वित्तीय भाग

निविदा मूल्य—500 /—  
अमानत राशि— 7,000 /—  
सुरक्षा राशि— 25,000 /—

कार्य:—खाली के.पी.बैग्स (अनुपयोगी) स्क्रेप

निविदा प्रस्ताव प्रपत्र

दर प्रति किलोग्राम अंको में रू.  (कर अतिरिक्त)

दर शब्दों में प्रति किलोग्राम ..... (कर अतिरिक्त)

हस्ताक्षर:—

नाम:—

वास्ते मैर्सस:—

टेलिफोन न. / मोबाईल न.